छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

क्रमांक 05–06/वितरण/बैंक व अर्थ प्रबंध/ 5286 रायपुर दिनांक 23.09.2011

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, EITC: C.S.P.D.Co.Ltd; RAIPUR.
Recpt. No. 2553 Dt. 24 SEP 2011

परिपत्र

विषयः– उच्चदाब श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा e-payment (इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान) बाबत्।

Estt./DGM(IT)
E.E. I, II, III, IV
A.E. I, II, III, IV

छ.रा.वि.वि.कं.लि. के परिपत्र क्रमांक 05/06/वितरण/बैंक/1771/दिनांक 13.04.2011 के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं को जारी देयकों के विरूद्ध e-payment (RTGS/NEFT/Core-Banking) के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। e-payment की सुविधा से भुगतांन पश्चात् उपभोक्ताओं को भुगतान का विवरण संबंधित लेखा कार्यालय को फैक्स / e-mail द्वारा प्रेषित करना अनिवार्य है। इस प्रणाली द्वारा किये गये भुगतान में यह बात प्रकाश में आई है कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान पश्चात् किसी पावती का प्रावधान नही है।

इस संबंध में वर्तमान में सभी लेखा कार्यालयों को उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं के भुगतान SAP प्रणाली द्वारा "On-line Money Recipt" के माध्यम से संग्रहंण किये जाने हेतु EITC कार्यालय द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः e-payment के माध्यम से किये गये भुगतान की पावती एवं बिलिंग पद्धति में भुगतान की प्रवष्ठि सुनिश्चित करने हेतु लेखा कार्यालयों द्वारा उपभोक्ता द्वारा प्रेषित e-payment की जानकारी का संबंधित दिनांक के बैंक प्रपत्र से मिलान पश्चात् SAP प्रणाली में उपलब्ध "HT On-line Money Recipt" विकल्प का उपयोग कर पावती उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जावे ताकि उपभोक्ताओं द्वारा किये गये भुगतान एवं बैंक प्रपत्र में भिन्नता न हो।

उक्त निर्देशों/प्रक्रिया का सूचारू संचालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे। साथ ही समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को e-payment की सुविधा से अवगत कराया जाये।

संलग्न–परिपत्र 1771 दिनांक 13.04.2011

महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालक निदेशक (संचा संधा), छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर।
2. मुख्य अभियंता (ई आई टी सी)/ (वाणिज्य), छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (रायपुर क्षेत्र), (बिलासपुर क्षेत्र), (जगदलपुर क्षेत्र), (राजनांदगांव क्षेत्र), (अम्बिकापुर क्षेत्र), छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर, बिलासपुर जगदलपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर।
4. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.रा.वि.वि.कं.मर्या रायपुर/ बिलासपुर/ रायगढ़/ अम्बिकापुर/ दुर्ग/ जगदलपुर/ राजनांदगांव।

- मुख्य अभियंता (ई आई टी सी) से अनुरोध है कि उक्त परिपत्र को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।

उप-महाप्रबंधक (वि. एवं ले.)–I
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या., रायपुर